COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES
Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

323

निग / 3240/I/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–विदिशा नवीन पु./3240/15

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणसिंह,
2. मुन्नासिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणसिंह
3. फूलसिंह पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणसिंह,
4. तुलसीराम पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणसिंह,
5. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री मोहन सिंह,
6. सविता बाई पत्नी स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी ग्राम परवरिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा
7. सावित्री बाई पत्नी स्व. श्री सूरजसिंह पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी ग्राम सिरौंज, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा
8. कृष्णाबाई पत्नी श्री तोरनसिंह पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणसिंह, निवासी ग्राम घटवार, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा

श्री .... द्वारा आज दि. 5.10.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5/10/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

...... आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,

जिला–विदिशा म0प्र0 ...... अनावेदक

5/10/15

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/बी-121/2014–15 निगरानी में पारित प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2015 एवं आदेश पत्रिका दिनांक 27.08.2015, 03.10.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, पटवारी हल्का नं.12, तहसील लटेरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम परवरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 420 रकवा 3.477 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 497 रकवा 13.316 हैक्टेयर भूमि ''क'' पत्रक वर्ष 1972–73 के रिकॉर्ड अनुसार वन विभाग के नाम से दर्ज है, किन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में उक्त भूमि गजेन्द्रसिंह, मुन्नासिंह, फूलसिंह, तुलसीराम पुत्रगण लक्ष्मणसिंह, सावित्री बाई, कृष्णाबाई पुत्रीयॉं लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज हैं। इस संबंध में नरेन्द्रसिंह पुत्र गजराजसिंह रघुवंशी द्वारा जन–सुनवाई में आवेदन प्रस्तत कर वन विभाग की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3240-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	